



**Haryana Government Gazette**  
**EXTRAORDINARY**  
**Published by Authority**

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 11, 2014  
(ASADHA 20, 1936 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 11th July, 2014

**No. 23-HLA of 2014/59.-** The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Validation) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 23 – HLA of 2014

**THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS  
RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT  
(HARYANA VALIDATION) BILL, 2014**

**A**

**BILL**

*to validate the declaration of the controlled area of Hisar and all the acts, proceedings, things done and action taken in connection therewith in the said controlled area under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963,*

*in its application to the State of Haryana.*

Be it enacted by of the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title                    1.        This act may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana validation) Act, 2014.

Validation.                    2.        Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal or authority to the contrary and notwithstanding that the notification for declaration of the controlled area of Hisar published in the Haryana Government Gazette, Extraordinary, dated the 28<sup>th</sup> August, 1971, which was published late in newspapers in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) i.e. was published in the newspapers in accordance with the said provision in the Patriot on the 17<sup>th</sup> March, 1991, in Jan Sandesh on the 18<sup>th</sup> March, 1991 and in Nab Chhor on the 13<sup>th</sup> April, 1991 and the notification for declaration of the

---

controlled area of Hisar published in the Haryana Government Gazette, Extraordinary, dated the 9<sup>th</sup> March, 1982 which was held to be not published in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 4 of the Act *ibid* by the Additional District Judge, Hisar and was thereafter published in newspapers in accordance with the said provisions in The Tribune and Dainik Bhaskar on the 15<sup>th</sup> July, 2013 and in the Dainik Tribune on the 20<sup>th</sup> October, 2013, the said notifications though published late in the newspapers shall be deemed to be valid and effective from the date of their publication in the Official Gazette and any executive instructions or notices issued or bilateral agreement executed or demolition done or permission granted for change of land use or undertaking obtained or recovery made in connection thereto in the said controlled areas in view of the said notifications shall be deemed to be valid and effective as if such executive instructions or notices were issued, bilateral agreements were executed or demolition done or permission for change of land use granted or undertakings obtained or recoveries made in accordance with the provisions as validated by this Act and shall not be called in question before any court, tribunal or authority and accordingly-

- (i) all acts, proceedings or things done or action taken by the Government or any official of the Government or by any authority, after the publication of notification of controlled area of Hisar in the Haryana Government Gazette, Extraordinary, dated the 28<sup>th</sup> August, 1971 and the 9<sup>th</sup> March, 1982 for all purposes be deemed to be, and to have always been done or taken in accordance with law;
- (ii) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any court or tribunal or authority for the refund of any amount already deposited or any executive instructions or notices issued or for any bilateral agreements executed, demolitions done or permission granted for change of land use, any undertakings obtained or any recovery made; and
- (iii) no court or tribunal or authority shall enforce a decree or order directing the refund of any amount so charged or for nullification of bilateral agreement executed or any executive instructions or notices issued or any undertaking obtained in this regard.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

---

It is informed that the Final Development Plan of Hisar-2021AD includes the area falling in the controlled areas notified in the year 1971, 1982 and 2002. The first Controlled Area notified in the Official Gazette on 25.08.1971 under section 4(1) of The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 was not published in the newspapers in accordance with section 4(2) of act *ibid*. On this issue, a Civil Suit No. 159 of 1991 was filed in the District Court Hisar in which the 1<sup>st</sup> controlled area of Hisar town notified in the year 1971 was challenged. However, Additional District Judge Hisar gives the clear-cut finding in his decision dated 31.03.1997 that even the publication of the 2<sup>nd</sup> controlled area in a local weekly "Navnad" was making a mockery of a mandatory provision of Law and clearly held that the 2<sup>nd</sup> controlled area notified in the year 1982 was also not duly published as per provisions of section 4(2) of act *ibid*. Against the said orders, an appeal was filed in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court and Hon'ble Supreme Court, however the same was dismissed.

Further, the first controlled area notified in the year 1971 was got published in the newspapers on 17.03.1991, 18.03.1991 and 13.04.1991 respectively in one English and two Hindi newspapers and the 2<sup>nd</sup> controlled area notified in the year 1982 was published in one English and two Hindi newspapers on 15<sup>th</sup> July 2013 and 20<sup>th</sup> October 2013 in accordance to the section 4(2) of the act *ibid*. Hence, the legal process for notification of 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> controlled areas has been completed.

There is no controversy with regard to 3<sup>rd</sup> controlled area notified on 09.07.2002.

Based on these controlled areas, Final Development Plan of Hisar 2021 AD has been notified and sectors have been developed by HUDA and private colonizers after obtaining the license from the Government. Permissions for change of land use have been granted by the Government in which lot of revenue has been received. Illegal structures have been demolished after issuance of prior notices. Hence, 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> controlled areas of Hisar need to be validated from the date of notification in the official Gazette.

Hence, this bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,  
Chief Minister, Haryana.

---

Chandigarh:  
The 11<sup>th</sup> July, 2014.

SUMIT KUMAR,  
Secretary.

2014 का विधेयक संख्या 23 एच. एल. ए.

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास  
निर्बन्धन (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014  
पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास  
निर्बन्धन अधिनियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ, के अधीन  
हिसार के नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा और उक्त नियंत्रित  
क्षेत्र में उसके सम्बन्ध में किए गए सभी कार्यों,  
कार्यवाहियों, बातों और की गई कार्रवाई  
को विधिमान्य बनाने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

विधिमान्यकरण।

2. किसी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी और के होने पर भी कि हरियाणा राजपत्र, असाधारण, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हिसार के नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के लिए अधिसूचना जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार समाचार पत्रों में देरी से प्रकाशित हुई थी अर्थात् 17 मार्च, 1991 को पट्रियोट में, 18 मार्च, 1991 को जन संदेश में और 13 अप्रैल, 1991 को नब छोर में उक्त उपबन्ध के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी और हरियाणा राजपत्र, असाधारण, दिनांक 9 मार्च, 1982 में प्रकाशित हिसार के नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के लिए अधिसूचना जो अपर जिला न्यायाधीश, हिसार द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित न किए जाने बारे निर्णय दिया गया था और उसके बाद दी ट्रिब्यून और दैनिक भास्कर में 15 जुलाई, 2013 को और दैनिक ट्रिब्यून में 20 अक्टूबर, 2013 को उक्त उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित की गई थी, तथापि समाचार पत्रों में देरी से प्रकाशित उक्त अधिसूचनाएं विधिमान्य समझी जाएंगी और राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी और उक्त अधिसूचनाओं के दृष्टिगत उक्त नियंत्रित क्षेत्रों में उसके सम्बन्ध में जारी किए गए किन्हीं कार्यकारी अनुदेशों या नोटिसों या निष्पादित किया गया द्विपक्षीय करार या किया गया विध्वंस या भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु प्रदान की गई स्वीकृति या प्राप्त किया गया वचनबन्ध या की गई वसूली विधिमान्य समझी जाएगी और प्रभावी होगी मानो इस अधिनियम द्वारा वैधीकृत के रूप में उपबन्धों के अनुसार ऐसे कार्यकारी अनुदेश या नोटिस जारी किए गए थे, द्विपक्षीय करार निष्पादित किए गए थे या विध्वंस किया गया था या भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी या वचनबन्ध प्राप्त किया गया था या वसूली की गई थी और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे और तदनुसार-

- (i) हरियाणा राजपत्र, असाधारण, दिनांक 28 अगस्त, 1971 और 9 मार्च, 1982 में हिसार के नियंत्रित क्षेत्र की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, सरकार या सरकार के किसी पदधारी द्वारा या किसी प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्यवाहियां या बातें या की गई कार्रवाई सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार किए गए या की गई और सदैव किए गए या की गई समझी जाएगी;
- (ii) पहले से जमा करवाई गई किसी राशि की वापसी या जारी किए गए किन्हीं कार्यकारी अनुदेशों या नोटिसों के लिए या निष्पादित किए गए किन्हीं द्विपक्षीय करारों, किए गए विध्वंसों या भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु प्रदान की गई स्वीकृति, प्राप्त किए गए किन्हीं वचनबन्धों या की गई किसी वसूली के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण में कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही चालू या जारी नहीं रहेगी ; तथा
- (iii) किसी भी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण के इस सम्बन्ध में इस प्रकार प्रभारित की गई किसी राशि की वापसी या निष्पादित किया गया द्विपक्षीय करार के अभिशून्यन या जारी किए गए किन्हीं कार्यकारी अनुदेशों या नोटिसों या प्राप्त किए गए किन्हीं वचनबन्धों के लिए निदेश देने वाली डिक्री या आदेश लागू नहीं होंगे।

## उददेश्यों तथा कारणों का विवरण

यह सूचित किया जाता है कि अन्तिम विकास योजना हिसार 2021 ईस्वी में, वर्ष 1971, 1982 तथा 2002 में एक-एक करके अधिसूचित तीन नियन्त्रित क्षेत्रों में पड़ने वालों क्षेत्र शामिल किए गए थे। पंजाब अधिसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन 25-8-1971 को राजपत्र में अधिसूचित प्रथम नियन्त्रित क्षेत्र पूर्वोक्त अधिनियम को धारा 4(2) के उपबन्धों के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया था। धारा 4(2) के उपबन्ध के अनुसार अधिसूचना की विषय वस्तु अंग्रेजी से भिन्न भाषा में कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी है। इस विषय पर, एक सिविल सूट संख्या 159/1991 जिला न्यायालय, हिसार में दायर की गई थी, जिसमें वर्ष 1971 में अधिसूचित हिसार नगर के प्रथम नियन्त्रित क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। तथपि, अपर जिला न्यायाधीश, हिसार में दिनांक 31-03-1997 को अपने निर्णय में निष्कर्ष दिए कि प्रथम नियन्त्रित क्षेत्र के प्रकाशन ना होने के इलावा, स्थानीय साप्ताहिक "नवनन्द" में द्वितीय नियन्त्रित क्षेत्र का प्रकाशन विधि के अनिवार्य उपबन्ध का उपहास करना था तथा निर्णय किया गया कि वर्ष 1982 में अधिसूचित द्वितीय नियन्त्रित क्षेत्र भी पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4(2) के उपबन्धों के अनुसार विधिवत प्रकाशित नहीं किया गया था। उक्त आदेशों के विरुध अपील माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी। तथापि वे खारीज कर दी गई थी।

आगे, वर्ष 1971 में अधिसूचित प्रथम नियन्त्रित क्षेत्र की एक अंग्रेजी तथा दो हिन्दी समाचार पत्रों में क्रमशः 17-03-1991, 18-03-1991 तथा 13-04-1991 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 1982 में अधिसूचित, द्वितीय नियन्त्रित क्षेत्र को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार 15 जुलाई, 2013 तथा 20 अक्टूबर, 2013 को एक अंग्रेजी तथा दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। अतः प्रथम तथा द्वितीय नियन्त्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के लिए विविध प्रक्रियाएं पूरी की गई है

09-07-2002 को अधिसूचित तृतीय नियन्त्रित क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं है।

इन तीन नियन्त्रित क्षेत्रों पर अधारित, अंतिम विकास योजना, हिसार 2021 ईस्वी प्रकाशित की गई है तथा सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद प्राईवेट उपनिवेदकों द्वारा सैक्टर विकसित किए गए हैं। भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की गई है जिसमें बहुत राजस्व प्राप्त किया गया है। अवैध संरचनाएं पूर्व नोटिसों के जारी करने के बाद गिरा दी गई है। अतः हिसार के प्रथम तथा द्वितीय नियन्त्रित क्षेत्रों को राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से वैधिकृत किए जाने की आवश्यकता है। अतः विधेयक ।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,  
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 11 जुलाई 2014,

सुमित कुमार  
सचिव।